भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1649
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसल विविधीकरण कार्यक्रम

1649. श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2018 से फसल विविधीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र के आंकड़े क्या हैं और राज्य-वार और वर्ष-वार जल संकट वाले तथा उच्च इनपुट वाले क्षेत्रों में धान/गेहूं की खेती के क्षेत्र में कितनी प्रतिशत कमी आई है तथा तिलहन, दलहन और बाजरा के अंतर्गत क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान फसल विविधीकरण की पहल के लिए आवंटित, स्वीकृत, संवितरित और व्यय की गई निधियों के संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा पारंपरिक रूप से धान/गेहूं बहुल क्षेत्रों में बागवानी, दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा सतत कृषि और जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक कार्यनीति के रूप में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रमुख उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार अर्ध-शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों, फूलों की खेती या जैविक सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(□)से (ङ) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मूल हरित क्रांति वाले राज्यों यथा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-14 से प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे जल की अधिक खपत करने वाली धान की फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य धान की खेती के परिवर्तन के लिए वैकल्पिक फसलों की उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन करना है और साथ ही भारी मात्रा में बायोमास उत्पन्न करने वाली और पोषक तत्वों का कम अवशोषण करने वाली फलीदार (लेगमिनस) फसलों की खेती के माध्यम से मृदा उर्वरता को पुनर्स्थापित (रेस्टोर) करना है। सीडीपी के तहत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्य संवर्धन वस्तुओं, स्थल विशिष्ट गतिविधियों और जागरूकता, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है। वर्ष 2015-16 से आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में तंबाकू फसल को दूसरी फसलों से प्रतिस्थापित करने के लिए सीडीपी का विस्तार किया गया था। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 तक, सीडीपी के तहत धान और तंबाकू की फसल के प्रतिस्थापन के लिए कुल 186546 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। वैकल्पिक फसल प्रदर्शनों के माध्यम से सीडीपी के तहत धान और तंबाकू से स्थानांतरित किए गए क्षेत्र को **अनुबंध -I** में संलग्न किया गया हैं। सीडीपी के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और लागत मानदंड **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आई.सी.ए.आर.-आई.आई.एफ.एस.आर.), मोदीपुरम के माध्यम से एन.एफ.एस.एन.एम. के तहत पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए 1326.60 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ "फसल विविधीकरण" पर एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है।

भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के तहत मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), दलहन पर आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दलहन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)-तिलहन के तहत तिलहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) के तहत बागवानी फसलों को उगाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों के बीच फसल विविधीकरण को और प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पी.एम.-आर.के.वी.वाई.) के तहत राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है। राज्य, राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस.एल.एस.सी.) के अनुमोदन से पी.एम.-आर.के.वी.वाई. के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पी.एम.डी.डी.के.वाई.) 11 विभागों, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी में 36 मौजूदा योजनाओं के संयोजन के माध्यम से देश भर के 100 चयनित आकांक्षी जिलों को कवर करती है। पी.एम.डी.डी.के.वाई. के तहत, फसल विविधीकरण मुख्य उद्देश्यों में से एक है जिस पर उनके प्रभावों और संयोजन नीतियों के माध्यम से कार्य किया जाता है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, देश में खाद्यान्न की खेती के क्षेत्र में 127.72 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी। इसमें मोटे अनाज की खेती का क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें 5.13 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, उक्त अवधि के दौरान देश में तिलहन के तहत क्षेत्र में भी 56.46 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

देश में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.), पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पी.डी.एम.सी.) आदि जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पी.डी.एम.सी. योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। पी.के.वी.वाई. और एन.एम.एन.एफ. को किसानों के बीच क्रमशः जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

अनुबंध-I

फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैकल्पिक फसल प्रदर्शनों के माध्यम से वर्ष 2013-14 से 2024-25 के दौरान परिवर्तित किया गया क्षेत्र

वर्ष	वैकल्पिक फसल प्रदर्शन (हेक्टेयर)
2013-14	109723
2014-15	196821
2015-16	98537
2016-17	39406
2017-18	65014
2018-19	35345
2019-20	13604
2020-21	73758
2021-22	40593
2022-23	5747
2023-24	14019
2024-25	3480
कुल	**696047**

अनुबंध-II

फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) के तहत सहायता का पैटर्न

□) मूल हरित क्रांति राज्यों में सीडीपी

क्रम संख्या	घटक/हस्तक्षेप	सहायता की दर
1.	वैकल्पिक फसल प्रदर्शन	
i.	दलहन	दलहन मिशन लागत मानदंड (10000 रुपये/हेक्टेयर)
ii.	तिलहन	एनएमईओ-तिलहन मानदंड (मूंगफली @ 14,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन @ 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सूरजमुखी @ 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तिल/अरंडी/नाइजर @ 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर)
iii.	मोटे/पोषक अनाज	एनएफएसएनएम मानदंड (i) किस्म के लिए 7500 रुपये/हेक्टेयर (ii)मक्का के हाइब्रिड के लिए रु.11500/हेक्टेयर
iv.	कपास	एनएफएसएनएम मानदंड एकीकृत फसल प्रबंधन (आईसीएम)/इंटरक्रॉपिंग/प्राकृतिक रंग कपास @ 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर, देसी और ईएलएस कपास @ 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर, एचडीपीएस @ 10000/हेक्टेयर पर प्रदर्शन)
v.	एकमात्र फसल के रूप में कृषि वानिकी प्रणाली	रु. 10,000/हेक्टेयर
vi.	खेतों के मेड़ों पर वृक्षारोपण	पौधों की लागत 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित
vii.	कृषि वानिकी प्रणाली के साथ इंटर-क्रॉपिंग	रु. 5000/हेक्टेयर
2.	कृषि मशीनीकरण और मूल्य संवर्धन	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन / किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार
3.	साइट विशिष्ट गतिविधियां (जैसे भूमिगत पाइप लाइन, मक्का ड्रायर, हरी खाद के लिए बीज, आदि)	किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार
4.	जागरूकता प्रशिक्षण आदि के लिए।	किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना/राज्य योजना के तहत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार

□) तंबाकू की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली के साथ सीडीपी

तम्बाकू उत्पादक राज्य किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना/राज्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार तम्बाकू की फसल को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली से प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त कार्यकलाप/हस्तक्षेप कर सकते हैं।

****